

राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची

अल्पकालीन निविदा सूचना


नववर्ष 2023 के अवसर पर राजभवन/राज्यपाल सचिवालय, राँची के उपयोग के लिए राजभवन डायरी 2023 के मुद्रण हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सूचना भवन अवस्थित राज्यपाल सचिवालय, राँची के लेखा शाखा में दिनांक-28/11/2022 (सोमवार) अपराहन 04:00 बजे तक स्वीकार की जायेगी एवं दिनांक-29/11/2022 (मंगलवार) अपराहन 12:00 बजे राज्यपाल सचिवालय, राँची स्थित हॉल में निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा दर्ज करेंगे।

निविदा के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. डायरी 2023 के मुद्रण की विशिष्टियाँ निम्न प्रकार हैं-
 - a) Pages-Leaf-180 pages (360 Pages total), Cover- Front photo of Rajbhavan with golden embossing, Containing 2-3 pockets with inside of front cover. Specification- As are in sample diary, Size-25x18.4 cm, - 1000 (One Thousand) copies .
 - b)Pages-Leaf-150 pages (300 pages total) containing 50 pages of pocket note (excluding) at the end. Cover- Front photo of Rajbhavan with golden embossing, Specifications-As are in sample dairy, Size-17.7x10.6 cm, - 500 (Five Hundred) copies .
2. डायरी का नमूना कार्यालय के कार्यवधि में देखा जा सकता है।
3. निविदा दो लिफाफों में Technical Bid एवं Financial Bid अलग-अलग सील कर के दोनों लिफाफे को एक बड़ा लिफाफा में सील बंद करके जमा करना होगा। Technical Bid सही पाये जाने पर ही Financial Bid खोला जायगा।
4. प्रतिभूति राशि (security money) के रूप में "Governor's Secretariat, Ranchi" के नाम से रू0 50,000/- (पचास हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट Technical Bid के साथ जमा करना होगा। सफल निविदादाता के प्रतिभूति राशि को सुरक्षित जमा रख लिया जायेगा एवं अनुबंध समाप्ति उपरांत बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दिया जायेगा।
5. तकनीकी निविदा के अंतर्गत मात्र ऐसी ही निबंधित एजेंसी निविदा प्राप्ति के योग्य समझी जायेगी जिसका कार्यालय तथा प्रिंटिंग प्रेस झारखण्ड में अवस्थित होगा। तत्संबंधी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित अभिलेख की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - 1) प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर का अथवा प्रतिष्ठान का पैनकार्ड की प्रति।
 - 2) प्रतिष्ठान का GST निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन रिटर्न की प्रति।
 - 3) प्रतिष्ठान का IT Return वर्ष 2021-22, 2020-21 एवं 2019-20 की प्रति।

7. निविदादाता को शपथ-पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं हुआ है।
8. तकनीकी निविदा के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में turnkey आधार पर मुद्रण संबंधी कार्य का 3 वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण संलग्न करना होगा।
9. Joint Ventures की अनुमति नहीं है।
10. डायरी प्रकाशन turnkey आधारित होगा। राज्यपाल सचिवालय के निदेश के आलोक में प्रकाशक को विभिन्न कार्यालयों के पदाधिकारियों के नाम उनके टेलिफोन/मोबाईल नम्बर का संकलन स्वयं करना होगा।
11. डायरी मुद्रण की संख्या को आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है।
12. निविदा समिति को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
13. निविदा उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय के नाम से समर्पित करना होगा।
14. जिस प्रतिष्ठान का निविदा स्वीकृत किया जायेगा वे निविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य करने से इंकार नहीं कर सकेंगे। कार्य करने से इंकार करने पर उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि को जब्त कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा। कार्यदेश के निर्गत की तिथि से 20 दिनों के अन्दर कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे।
15. स्वीकृत दर 02 (दो) वर्षों के लिए मान्य होगा।
16. उक्त निविदा को राजभवन, राँची के website www.rajbhavanjharkhand.nic.in पर भी देखा जा सकता है।


उप सचिव
राज्यपाल सचिवालय,
झारखण्ड, राँची